न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 09/2016

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

श्री बशीर मौहम्मद डीलर उचित मूल्य दुकान कायमपुरा,
तहसील व जिला अजमेर ....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;. 1.श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश **01.03.2017**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 22.11.2016 को श्री बशीर मोहम्मद उचित मूल्य दुकान कायमपुरा का आकस्मिक निरीक्षण डीलर की उपस्थिति में किया गया। डीलर के रेकार्ड की जांच एवं भौतिक सत्यापन पर गैहूँ एवं शक्कर का स्टॉक सही पाया गया। जबकि 132.50 लीटर केरोसीन स्टॉक में अधिक भण्डारित पाया गया। स्टॉक रजिस्टर के अनुसार केरोसीन 177.05 लीटर की बजाय मौके पर 310 लीटर केरोसीन भण्डारित पाया गया। उचित मूल्य दुकान पर स्टाक से अधिक पाये गये 132.50 लीटर केरोसीन को राजहित में कब्जेराज लेकर श्री निकटवर्ती दुकान श्री हसन मोहम्मद उचित मूल्य दुकान छातडी को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण करने का फर्जी इन्द्राज कर कालाबाजारी के उद्धेश्य से स्टॉक से 132.50 लीटर अधिक केरोसीन भण्डारण कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0, 17 (सी) का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जे राज लिया गया अधिशेष केरोसीन 132.50 लीटर को अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये, जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। दौराने सुनवाई अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी श्री बशीर मोहम्मद उचित मूल्य दुकानदार कायमपुरा द्वारा रेकार्ड में फर्जी इन्द्राजात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मात्र राशन कार्ड पर वितरित होने वाले नीले केरोसीन को कालाबाजारी के उद्धेश्य से स्टॉक से 132.50 लीटर केरोसीन जमा कर एवं केरोसीन वितरण रजिस्टर मे फर्जी इन्द्राज कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0, 17 (सी) का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जे राज लिया गया अधिशेष केरोसीन 132.50 लीटर को अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस के मुख्यतः कथन है कि दिनांक 22.11.2016 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई जांच में केरोसीन 132.50 लीटर अधिक पाया गया। अप्रार्थी की दुकान के उपभोक्ता केरोसीन लेने आये किन्तु जल्दी एवं समयाभाव के कारण उनके द्वारा केरोसीन बाद में आकर लेने के लिए कहा गया। सरकार के नियमानुसार मशीन के द्वारा ही अप्रार्थी द्वारा चीनी, गैहूँ एवं केरोसीन का वितरण किया जाता है। स्टाक से अधिक बताया गया केरोसीन उपभोक्ताओं का है जो उनको वितरण किया जाना है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को इसी स्तर पर समाप्त करने की कृपा करावें। भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब का अवलोकन किया। फर्द मौका एवं जब्ती रिपोर्ट से उचित मूल्य दुकानदार द्वारा रेकार्ड में फर्जी इन्द्राजात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मात्र राशन कार्ड पर वितरित होने वाले केरोसीन को स्वंय के लाभ हेतु बचाकर इसे उँचें दामों में बेचने का प्रयास किया जाना साफ जाहिर है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0, 17 (सी) का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कब्जे राज लिया गया अधिशेष केरोसीन 132.50 लीटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर राजसात किये गये केरोसीन का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त राशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.03.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर।

Scanned by CamScanner